यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी के माह जनवरी 2016 से जनवरी 2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री भानु प्रताप सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अनूप चौहान , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.02.2019 से 12.02.2019 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मुकेश कुमार , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.01.2016 से 06.02.2016 तक श्री ए सी कटियार , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 04/2012 से 12/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2016 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत गौरा देवी कन्या धन योजना, विधवा पेंशन योजना एवं परित्यक्तक्ता अनुदान योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण नैनीताल जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	-	-	119.73	114.25	5.48	1913.82	1718.69	195.13
2017-18	-	-	113.43	104.72	8.71	1777.54	1777.50	0.04
2018-19 (up to 12/2018)	-	-	107.09	97.84	9.25	2006.55	1383.42	623.13

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
विधवा अनुदान योजना	48.96	48.93	75.70	75.70	21.46	21.46

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (स) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन→निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन →जिला प्रोबेशन अधिकारी **।**

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन में जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विधवा पेंशन, गौरा देवी बजट का विश्लेषण किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत सामान्य जाति की 315 बालिका लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली ` 157.50 लाख की धनराशि का भुगतान लंबित रहने के संबंध में।

गौरा देवी कन्याधन योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि मार्च 2014 से "गौरा देवी" कन्याधन योजना के अंतर्गत ` 50,000/- के राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ डी के रूप में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किए जाने हेतु इंटरमीडिएट पास सामान्य जाति की कन्याओं को प्रदान की जा रही थी।

संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया कि ज़िला प्रोबेशनअधिकारी, नैनीताल कार्यालय स्तर पर गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के 315 बालिका लाभार्थियों का भुगतान निम्नानुसार लंबित था:

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	**वर्ष**	**प्राप्त धनराशि**	**पात्र लाभार्थियों की संख्या**	**लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या**	**कुल भुगतानित धनराशि**	**अवशेष लाभार्थियों की संख्या**	**वांछित धनराशि**
1	2015-16	1063.00	2377	2126	1063.00	251	125.50
2	2016-17	1147.50	2359	2295	1147.50	64	32.00
योग						**315**	**157.50**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्यालय स्तर पर वर्तमान में सामान्य जाति की कुल 315 बालिका लाभार्थियों (वर्ष 2015-16 से संबन्धित 251 बालिका लाभार्थी एवं वर्ष 2016-17 से संबन्धित 64 बालिका लाभार्थी) को भुगतान की जाने वाली ` 157.50 लाख की धनराशि का भुगतान संप्रेक्षा तिथि (फरवरी 2019) तक लंबित था।

उक्त के सबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि उक्त योजना के संबंध में वांछित धनराशि की मांग निदेशालय, समाज कल्याण, नैनीताल, हल्द्वानी से मांग की गई है, धनराशि के प्राप्त होते ही संबन्धित लाभार्थियों को एफ डी आर के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बजट के अभाव में उक्त बालिका लाभार्थी विगत दो वर्षों से भी अधिक अवधि से उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने से वंचित हैं।

अतः गौरा देवी कन्याधन योजना के अंतर्गत सामान्य जाति की 315 बालिका लाभार्थियों को भुगतान की जाने वाली ` 157.50 लाख की धनराशि का भुगतान लंबित रहने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-2 कार्यालय स्तर पर संचालित दो बैंक खातों में योजनाओं से संबन्धित ` 34.53 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने रहने के संबंध में।

जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय स्तर पर विधवा पेंशन एवं परित्यक्ता पेंशन के संबंध में दो बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे। उक्त बैंक खातों में मृत लाभार्थियों की वापसी की धनराशि/निष्क्रिय खातों के कारण वापसी की धनराशि जमा की जा रही थी। उक्त खातों का विवरण निम्नानुसार है:

(धनराशि लाख में)

कृमांक	**बैंक का नाम एवं खाता संख्या**	**बैंक खाते में जमा की जा रही धनराशि से संबन्धित योजना का नाम**	**धनराशि**
1	अल्मोड़ा अर्बन को-आपरेटिव बैंक, हल्द्वानी 013110100000944	विधवा पेंशन	29.30
2	नैनीताल बैंक लिमिटेड, हल्द्वानी 0501000000000588	परित्यक्ता पेंशन	5.23
योग			**34.53**

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त दोनों खातों में विधवा पेंशन एवं परित्यक्ता पेंशन के लाभार्थियों के मृत हो जाने अथवा उनके बैंक खाते निष्क्रिय होने के कारण उनके बैंक खातों में अंतरित की गई धनराशि की वापसी से संबन्धित ` 34.53 लाख की धनराशि जमा है परंतु कार्यालय स्तर पर रखे गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कितनी धनराशि मृत लाभार्थियों से संबन्धित वापसी की है एवं कितनी धनराशि बैंक खाते निष्क्रिय होने के कारण उनके बैंक खातों में अंतरित की गई धनराशि की वापसी से संबन्धित है। जबकि उक्त दोनों बैंक खातों में जमा धनराशि में से मृत लाभार्थियों की वापसी से संबन्धित धनराशि विभागीय प्राप्ति लेखा शीर्ष में अविलंब जमा की जानी चाहिए थी एवं लाभार्थियों के बैंक खाते निष्क्रिय होने के कारण उनके बैंक खातों में अंतरित की गई धनराशि की वापसी से संबन्धित धनराशियों को अविलंब उनके बैंक खाते ठीक कराते हुए उनके खाते में पुनः अंतरित की जानी चाहिए थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात कार्यालय स्तर पर मृत व्यक्तियों के संबंध में वापस प्राप्त धनराशियों तथा कोषागार द्वारा ट्रांजैकशन फ़ेल होने के कारण वापस प्राप्त धनराशि को प्रथक-प्रथक अभिलिखित किया जाएगा तथा मृत व्यक्तियों के संबंध में वापस प्राप्त धनराशियों को यथाशीघ्र विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्ष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा कोषागार द्वारा ट्रांजैकशन फ़ेल होने के कारणों को दूर करते हुए संबन्धित लाभार्थियों के खातों में पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोजनक नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर संबन्धित अभिलेखों को अद्यतन रखते हुए मृत व्यक्तियों के संबंध में वापस प्राप्त धनराशियों तथा कोषागार द्वारा ट्रांजैकशन फ़ेल होने के कारण वापस प्राप्त धनराशि को प्रथक-प्रथक अभिलिखित किया जाना अपेक्षित था। जो इकाई स्तर पर नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इकाई स्तर पर ` 34.53 लाख की धनराशि बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध है।

अतः कार्यालय स्तर पर संचालित दो बैंक खातों में योजनाओं से संबन्धित ` 34.53 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर संख्या:3- विधवा पेंशन के अंतर्गत एक बीपीएल आईडी पर दो-दो लाभार्थियों को भुगतान किए जाने के कारण रुपए 1.41 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण।

उत्तराखंड शासन के निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी नैनीताल के पत्रांक संख्या 2388/स0क0 / पेंशन –निर्देश/ 2007-08 दिनांक अक्तूबर 06 2007 के अनुसार विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, तथा विधवा पेंशन की स्वीकृति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे जिनके अनुसार लाभार्थी के आमदनी के विषय स्पष्ट किया गया था कि शासनादेश संख्या 936/XVII(1)-02/2006-39 (विविध)/2002 दिनांक 28.12.2206 के अनुसार उक्त पेंशन योजनाओं हेतु आय सीमा रुपये 1000/- मासिक निर्धारित है । इस प्रकार सभी पात्र व्यक्ति जो गरीबी की रेखा के नीचे हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रुपये 12000/- तक हो उक्त योजनाओ में आच्छादित होंगे।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, समाज कल्याण विभाग हल्द्वानी नैनीताल के विधवा पेंशन से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि एक ही बीपीएल आईडी पर दो लाभार्थी पेंशन पा रहे थे तथा उनको लेखा परीक्षा तिथि तक कुल रुपये 312600 की पेंशन प्रदान की गयी थी जो वर्तमान तक जारी थी इस प्रकार विधवा पेंशन के अंतर्गत रु. 1,40,800 की धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया। (विवरण संलग्न)

उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उल्लिखित लाभार्थियो विधवा पेंशन के प्रकरणो की जांच किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा मत की स्वयमेव पुष्टि होती है।

अतः विधवा पेंशन के अंतर्गत एक बीपीएल आईडी पर दो-दो लाभार्थियों को भुगतान किए जाने के कारण रुपए 1.41 लाख का अनियमित भुगतान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
191/2015-16	शून्य	01,02,03	शून्य

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अंजाना गुप्ता	जिला प्रोबेशन अधिकारी	विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून** को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.